

न्यायालय उप जिलाधिकारी जखनियों-गाजीपुर

मु0न0-513

मौजा-भगीरथपुर

रामचन्दर

अन्तर्गत धारा-143 ज0वि0अधि0

परगना शादियाबाद जिला-गाजीपुर

(उ0प्र0) सरकार

बनाग


आदेश

पत्रावली प्रस्तुत हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदक रामचन्दर पुत्र स्व0 सखरज निवासी ग्राम-देवा, परगना-शादियाबाद, तहसील-जखनियों, जनपद-गाजीपुर द्वारा ग्राम-भगीरथपुर, परगना-शादियाबाद, तहसील-जखनियों, जनपद-गाजीपुर स्थित गाटा सं0-67 रकबा 0.8260 हे0 (8266 वर्गमीटर) कृषि योग्य भूमि को शैक्षणिक प्रयोजन के लिए अकृषिक कराने हेतु प्रार्थना पत्र दिया गया। आवेदक द्वारा कृषि योग्य भूमि को अकृषिक घोषित करने हेतु उ0प्र0ज0वि0 एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 की धारा-143 के अनुसार निर्धारित शुल्क जमा किया गया है। आ0नं0-67 रकबा 0.8260 हे0 (8266 वर्गमीटर) भूमि को अकृषिक घोषित किये जाने के सम्बन्ध में तहसीलदार जखनियों की जाँच आख्या संस्तुति सहित प्रेषित दिनांक 31.12.2007 से सहमत।

अतः उपर्युक्त विवेचित तथ्यों एवं उद्धरण खतौनी फसली वर्ष-1412 लगायत-1417 व क्षेत्रीय लेखपाल की आख्या दिनांक 24.12.2007 व तहसीलदार जखनियों संस्तुति सहित प्रेषित दिनांक 31.12.2007 के आधार पर मौजा-भगीरथपुर, परगना-शादियाबाद, तहसील-जखनियों, जनपद-गाजीपुर के उद्धरण खतौनी फसली वर्ष-1412 लगायत-1417 के खाता सं0 00016 के आ0नं0-67 रकबा 0.8260 हे0 (8266 वर्गमीटर) भूमि आ0नं0-67 रकबा 0.8260 हे0 (8266 वर्गमीटर) भूमि को शैक्षणिक प्रयोजन में लाये जाने हेतु उक्त भूखण्ड आ0नं0-67 रकबा 0.8260 हे0 (8266 वर्गमीटर) भूमि को खातेदार रामचन्दर पुत्र स्व0 सखरज निवासी ग्राम-देवा, परगना-शादियाबाद, तहसील-जखनियों, जनपद-गाजीपुर के नाम कृषि कार्य से भिन्न अकृषिक प्रख्यापित किया जाता है। तदनुसार परवाना अमल दरामद जारी हो। आवश्यक अनुपालन के पश्चात् पत्रावली दाखिल दपतर हो।

दिनांक- 16-1-2008

जैदी अनी निरुद्धि दिनांक 16-1-2008



(श्रीनाथ शुक्ल)  
उपजिलाधिकारी  
जखनियों-गाजीपुर।

TRUE COPY  
Star  
G. S. S. S. S. S.